[Shri Swaran Singh.]

cause and other details will be known when the proceedings of the Court of Inquiry are received.

The question of the grant of financial assistance to the dependents of the missing personnel will be considered in accordance with the rules.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात पूछनी है . . . .

MR. SPEAKER: No. That is not the practice. The House will now stand adjourned for lunch and meet again at 2 P.M.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

RE. LUNCH HOUR

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोक सभा में लंच आवर होने से दो बजे जब फिर हाउस बैठता है तो रोज 5, 10 मिनट हाउस के चले जाते हैं क्योंकि कोरम नहीं होता है और जबकि हम देखते हैं कि समयाभाव के कारण कभी कभी 2 मिनट भी किसी को बोलने नहीं देते हैं जबकि इधर कोरम न होने के कारण 5,5 और 10, 10 मिनट तक घंटी बजा करती है और हाउस का समय जाया होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह लंच का एक घंटे का समय खत्म किया जाय।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : आप मेहरबानी करके बिजनस एडवाइजरी कमेटी में इस बात को रक्खें कि 12 बजे के करीब हम यहां पर बैठें ताकि लोग खाना खाकर यहां आयें क्योंकि आज भी लंच आवर होंगे पर जिनके पास कारें नहीं हैं और मेज रिटी ऐसे ही लोगों की हैं, वह लोग लंच आवर में आ नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता हूं यह लंच आवर खत्म कर देने का मामला आप बिजनैस एडवाजरी कमेटी की मीटिंग में रक्खें और इस बारे में फैसला कर लें। मेरा सुझाव है कि यह लंच आवर खत्म करें और हाउस 12 बजे से 6 बजे तक बैठा करे।

श्री मनभाई पटेल (डभोई) : लंच आवर खत्म किया जाय और 12 से 6 बजे तक हाउस बैठे।

MR. DEPUTY SPEAKER: There is the Business Advisory Committee meeting at 4 P.M. today. I suggest that members who have something to say regarding the lunch hour and the quorum question may appear before the Committee and convey their views. I will also do it. I see there are some difficulties. So, all the matters will be considered by the Committee.

श्री क० ना० तिवारी : जब तक आप उस में हम लोगों को बुलायेंगे नहीं तब तक हम कैसे आ सकते हैं।

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY): One more alternative may be considered, 2 to 8 P.M.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will pass on your suggestion.

14.07 hrs.

BIHAR AND UTTAR PRADESH (ALTERATION OF BOUNDARIES) BILL—*contd.*

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया था। उस समय इस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा यह विधेयक उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो सीमा है उस की स्थापना ठीक से की जाये इस के लिए इसे इस सदन के सामने लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के लिया जिले और बिहार के सारन और शाहबाद जिले इस से सम्बन्धित हैं। यहां की जो सीमा है वह 1867 में निर्धारित की गई थी लगभग 100 साल पहले उस समय की तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस में ऐसा प्राविधान किया था कि गंगा और घाघरा का जो सब से गहरा भाग है वह उन तीन जिलों की सीमा मानी जाती थी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं बाढ़ की सीमा, यह निर्धारित करनी बहुत मुश्किल हो जाती थी कि कहां पर गहरी धारा गंगा की है और उसी तरह घाघरा नदी भी उसी बीच में आती है जहां पर कि बाढ़ भी बहुत आया करती है। वहां पर जो गहरी नदी, जहां पर गहरा स्थान है और जिसको कि डीप स्ट्रीम कहते हैं उस को निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस कारण इन तीनों जिलों में न जाने कितने उपद्रव, दंगे फिसाद और हत्याएं हुआ करती थीं और दिन रात वहां के रहने वाले निवासियों को इस झगड़े का शिकार होना पड़ता था। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने सर्वप्रथम 1948 में इस मामले को केन्द्रीय सरकार के सामने पेश किया और कहा कि इस के बारे में किसी तरह का कुछ समझौता कर लिया जाय जिससे यह पुराना चलने वाला झगड़ा समाप्त हो सके। उस के बाद यह मामला दोनों प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों के पास भेजा गया और उन्होंने फिर एक तरह का अपना समझौता किया और उस के अन्तर्गत उन्होंने यह तय किया कि भारत के प्रधान मंत्री इस बात की तरफ ध्यान दें या कोई मध्यस्थ को नियुक्त करके फिर उसके अनुसार अपना निर्णय लें। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस के लिये श्री चन्दूलाल त्रिवेदी को मुकर्रर किया और उन्होंने 1964 में अपना प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने पेश किया। श्री शास्त्री ने उस रिपोर्ट को देखा और उस के बाद उन्होंने तय किया कि जो रिपोर्ट मध्यस्थ के द्वारा दी गई है वह हर दृष्टि से उचित है और उस को उन्होंने मंजूर किया। उसके पश्चात् इस विधेयक को बनाया गया और बना कर दोनों राज्य सरकारों के सामने उसे भेजा गया। उन से कहा गया कि वह इस बिल को अपनी अपनी विधान सभाओं के सामने पेश करे और जब वहां उस पर बहस हो जाये तो इस की प्रतिलिपि के साथ उस को हमारे पास भेज दें। उस के बाद हम लोग उस को इस संसद् में प्रस्तुत करेंगे।

बिहार की विधान सभा ने उस के ऊपर पूर्ण रूप से बहस की और उस के बाद चर्चा का विवरण और चर्चा के ऊपर अपनी टिप्पणियों के साथ उन्होंने उस को हमारे पास भेजा, जिस को हम ने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी मे रख दिया है और जो भी माननीय सदस्य चाहें उस को वहां देख सकते हैं। उसी तरह में उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भी उस पर चर्चा की और उन की जो रिपोर्ट है उस को लाइब्रेरी में रख दिया गया है।

मुख्य चीज जो मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं वह यह है कि यह विधेयक दो राज्यों के समझौते का परिणाम है। दो राज्यों का जो समझौता हुआ उस के ऊपर यह विधेयक लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के तीन जिलों बलिया, शाहाबाद और सारन के बीच पक्की सीमा बांध दी जाये और जो पानी की सीमा घाघरा और गंगा की थी और उस के कारण जो झगड़ होते थे वह इस स्थायी सीमा से मिट जायें। विधेयक के बारे में मैं समझता हूं कि कोई विशेष मतभेद नहीं होगा। जिन माननीय सदस्यों के चुनाव क्षेत्र पर इस का असर होता होगा, मैं नहीं समझता कि इस से बिहार

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

में या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी स्थित पैंद होगी जिस से उन को चिन्ता करने की कोई आवश्यकता हो। वैसे तो यह सर्वविदित है कि यदि कोई भी समझौते का काम किया जाता है तो दोनों पक्ष उस से सम्पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं रहते। इसी तरह से इसमें भी समझौते की बात है। हो सकता है कि कुछ पक्ष इधर उधर के इस में ऐसे हों जिन का मन या जिनकी बात पूर्ण रूप से इस से पूरी न होती हो, परन्तु जहां तक झगडों का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पास होने के बाद वे सम्पूर्ण रूप से बन्द हो जायेंगे।

इस विधेयक की जो धारायें 3 और 4 हैं उन की तरफ मैं विशेष रूप से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इन्ही दो धाराओं में इस बिल के मुख्य प्रावधान दिये हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि जब हम लोग इस की हर एक धाराओं पर बहस करेंगे उस समय इस बात को माननीय सदस्य साफ कर देंगे कि यदि इस में ऐसी कोई बात है जिस के बारे में कोई कठिनाई है या वहां के किसानों के सामने कोई कठिनाई हैं तो वे क्यों हैं। वैसे तो इस में किसी प्रकार की कोई फेर बदल करने की कोई गुंजाइस नहीं है, तो भी अगर कोई ऐसी कठिनाई होगी तो जो दोनों सम्बन्धित राज्य सरकारें हैं उन के सामने इन कठिनाइयों को हम पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वह इस पर दुबारा विचार करेंगी।

मुझे केवल इतना ही कहना है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion made:

"That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matters connected therewith, be taken into consideration."

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उस का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बहुत पुराना विवाद था और दोनों प्रदेशों में काफी झगड़ा था, लगान की वसूली में भी और कानूनी व्यवस्था में भी। यहां एक तरफ तो गंगा है जिस के दोनों तरफ में से एक तरफ तो बलिया था और दूसरी तरफ शाहाबाद था और दूसरी तरफ घाघरा है जिस के एक तरफ बलिया और दूसरी तरफ सारन था। इन नदियों में कटाव पड़ने से दोनों तरफ बड़ी उलझन थी और दोनों तरफ के लोगों में बड़ा संघर्ष था। इस के कारण 1961 में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने निर्णय दिया कि इस सम्बन्ध में पंच निर्णय दिया जाये और मामला प्रधान मंत्री को सौंपा गया। उस वक्त प्रधान मंत्री महोदय ने श्री त्रिवेदी को पंच मुकर्रर किया और उन के जिम्मे यह काम सौंपा गया कि वह अपना फैसला इस तरह से दें जिस से दोनों तरफ के प्रान्तों के झगड़े मिट जायें।

जहां तक उन के फैसले का ताल्लुक है, उसको दोनों प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों को भेजा गया ताकि वह दोनों अपनी सहमति प्रदान करें। उसके बाद यह विधेयक यहां लाया जा रहा है। जिस तरीके से पंच ने निर्णय किया है उस को मानने में, मैं समझता हूं, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस में एक संशोधन पेश किया गया है सरकार की तरफ से पेज 21 और 22 के ऊपर। उससे उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है उस को बड़ा नुकसान होता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से बिल उन्होंने पेश किया है उस को उसी तरह से स्वीकृति प्रदान करें और उसी के अनुसार

रक्खें। उन्होंने जो संशोधन पेश किया है उस की वजह से उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के किसानों को बिहार में कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश का नुक्सान होता है। वह मेरी कांस्टीटुएन्सी के भीतर है और श्री चन्द्रिका प्रसाद की कांस्टीटुएन्सी के भीतर है। इस से हमें नुक्सान होने की सम्भावना है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पंच निर्णय है उसी के अनुसार काम होना चाहिये और जो संशोधन पेश किये गये हैं उन को वापस लिया जाना चाहिये।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया): उपाध्यक्ष, महोदय, मैं मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जो मसला आज 15 वर्षों से चल रहा था उस के बारे में उन्होंने इस सदन में विधेयक रक्खा। लेकिन 1961 में पंडित जी ने त्रिवेदी को पंच अप्वाइंट किया था। मेरा कहना है कि जिस तरह से ऐग्रीमेन्ट हुआ है उसी तरह से इस को मानना चाहिये। उस में कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिये। श्री त्रिवेदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की बात को सोच कर 1964 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने मामले की पूरी तरह से छानबीन की और सारी बातों को देख कर अपना फैसला दिया था। लेकिन पेज 21 तथा 22 पर जो अमेंडमेंट 8 और 9 हैं हमें उन पर सख्त ऐतराज है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको उन को पढ़ कर सुना दूं। जो एग्रीमेंट हुआ था उस को बदलना ठीक नहीं है। अमेंडमेंट नं० 8 और 9 इस प्रकार हैं:—

(8) Page 21, lines 9 and 10,—

after "Diara Naubarar" *omit* "—".

यानी Lakshmi Rai Madho RaimDiara Lakhmi Rai Madho Rai Chhap Dhanantar, Marwatia Naibarar and Chakki Diara Sultanpur completely in Uttar Pradesh.

(9) Page 22, line 4,—

after "Darauli" *insert* "—".

यानी Doba Karwan, Karamha, Amarpur, Keontallia and Dumarhar Khurd completely in Bihar.

वहां पर मेरा कहना यह है कि जिस भावना से पंडित नेहरू ने त्रिवेदी जी को पंच बनाया जिस तरह से त्रिवेदी अवार्ड पर दोनों राज्य सरकारों तथा दोनों विधान सभाओं का ऐग्रीमेंट हुआ और जिस तरह से शास्त्री जी ने उस को माना उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आना चाहिये। जिस तरह का अवार्ड दिय गया है उसमें तरमीम नहीं होनी चाहिये। और अगर तरमीम होनी भी हो तो मैं चाहूंगा कि 1961 में जो रेकार्ड उत्तर प्रदेश और बिहार के थे उनके बेसिस पर ही कोई अदला बदली होनी चाहिये क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने बलिया के गांवों के नाम बदल दिये हैं और इससे कटुता पैदा हो रही है।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने का मतलब तो यह है कि जो विवाद रहा है दो प्रदेशों में उस का अन्त हो और बदलती हुई धारा के आधार पर जो सीमा निर्धारण रहा है उस तरह से न हो कर स्थायी सीमा निर्धारण हो। जब बदलती हुई धारा के आधार पर सीमा हुआ करती थी तब ऐसा होता था कि एक वर्ष तो धारा एक मील इधर आ गई तो कुछ क्षेत्र उधर चले गये और दूसरे वर्ष वह दो तीन मील उधर हो गई तो उधर के क्षेत्र इधर आ गये। इस तरह से हजारों एकड़ जमीन इधर से उधर हो जाया करती थी, कभी बिहार की ओर और कभी उत्तर प्रदेश की। इस बिल का उद्देश्य यह है कि बदलती

[श्री बिश्वनाथ राय]

हुई धारा पर बदलती हुई सीमा नहीं रह कर स्थायी सीमा निर्धारण हो जिस में कि दोनों शासनों को अपने तरीके से काम करने और शासन चलाने में सहूलियत हो। जो मतलब था वह अच्छा था। उसकी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किये और स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह काम सौंपा कि वह इसके बारे में निर्णय दें। प्रधान मंत्री जी ने अपनी तरफ से श्री त्रिवेदी जी को पंच मुकर्रर कर दिया। उन्होंने एवार्ड दिया और त्रिवेदी जी का एवार्ड एक तरह से भूतपूर्व प्रधान मंत्री का एवार्ड हुआ। शास्त्री जी आए और उनके समय में भी यह एवार्ड वैसा का वैसा रहा। उन्होंने भी उस में कोई तब्दीली नहीं की। उसमें जो आप तबदीली कर रहे हैं और बिहार को कुछ गांव दे रहे हैं उस पर हमें आपत्ति है। जो एवार्ड है वही एवार्ड रहे और जिस तरह से वह है उस पर वैसे ही अमल किया जाए। उस एवार्ड को उत्तर प्रदेश तथा बिहार की विधान सभाओं की स्वीकृति प्राप्त है और साथ ही साथ स्वर्गीय दो प्रधान मंत्रियों की भी स्वीकृति प्राप्त है। ऐसी हालत में अगर उसको अब यहां पर बदलने की कोशिश की जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो भावना थी विधान सभाओं की उसके विपरीत जाकर आप काम करना चाहते हैं। वैसी अवस्था में उसमें त्रुटि आ जाती है। साथ ही जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री रहे हैं और उनकी जो स्वीकृति इस एवार्ड को प्राप्त रही है उस पर भी एक तरह से थोड़ा सा आघात होता है।

जो बिल इस सदन में पेश किया गया है उसका ध्येय तो बहुत अच्छा है। इसमें यह कहा गया है कि जो सीमा है वह नदी की धारा के आधार पर न रहे क्योंकि वैसी अवस्था में वह हर साल बदलती रह सकती है। चूंकि नदी की धारा बदलती रहती है इस वास्ते यह जो सीमा है यह भी बदलती रहती है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे प्रान्तों में भी जहां इस रीति से धाराओं के आधार पर सीमायें बनती हैं और बिगड़ती हैं वहां भी कोई पक्की व्यवस्था की जाए, वहां पर भी स्थायी सीमायें स्थापित होनी चाहियें। लेकिन जो दो विधान सभाओं और दो प्रधान मंत्रियों की स्वीकृति से बात तय हुई थी उसमें किसी प्रकार की आपको अब तबदीली नहीं करनी चाहिये। इसलिए आपने जो एमेंडमेंट नम्बर 8 और 9 रखे हैं पेज 21 और 22 पर उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया): यह जो बिल आया है इसका मैं समर्थन करता हूं। घाघरा और गंगा यह जो दो नदियां हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार के आरा, छपरा और बलिया तथा दूसरे जो शहर हैं उनको विभाजित करती हैं। इन नदियों की धाराऐं बराबर बदलती रहती हैं। इस कारण से उत्तर प्रदेश की कुछ जमीन इधर बिहार में आ जाया करती थी और बिहार की कुछ जमीन उत्तर प्रदेश में चली जाया करती थी। उत्तर प्रदेश की साइड में जितनी चली जाती थी उसको उत्तर प्रदेश वाले आबाद करना शुरू कर देते थे, उसमें उत्तर प्रदेश वाले खेती करना शुरू कर देते थे और जितनी बिहार की साइड में आ जाती थी उस में बिहार वाले खेती करना शुरू कर देते थे। अब भी ये नदियां वहां मौजूद हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि बदलती हुई इस धारा के बावजूद यह जो आप पक्के पिल्लर लगाने जा रहे हैं इन पिल्लरों को आप कहां लगायेंगे। नदी के बीच में तो आप इन को दे नहीं सकते हैं। जो रेता पड़ता है उस रेते में देने से भी पानी आ जाने से उसके कट जाने और बह जाने का खतरा बना रहेगा और उस अवस्था में जो झगड़ा है वह वैसे का वैसा मौजूद रहेगा। एक ही चीज हो सकती है कि जिस स्थल से

नदी निकलती है वहां से लेकर और आखिर तक पक्के पिल्लर बनाये जायें। यह भी सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि नदियों की लम्बाई बहुत बड़ी है और उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों के बोर्डर इतने लम्बे हैं कि इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इस सबके बारे में सरकार अगर कोई निर्णय नहीं करेगी और घाघरा की या गंगा जी की जो सबसे ज्यादा गहराई है उसी के ऊपर जाएगी तो यह जो झगड़ा है यह कभी समाप्त नहीं होगा। कागज पर समाप्त हो जाए यह तो हो सकता है लेकिन असल में कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आर्बिट्रेशन में अगर भेजा जाए तो भी समाप्त हो सकता है और मुख्य मंत्रियों और प्रधान मंत्री की जो कैपेसिटी है उनके समझने की बात है, वहां तो खत्म हो सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो राज्य हैं और उनके बीच जो ये सीमायी झगड़े हैं ये हल नहीं हो सकते हैं, ये समाप्त नहीं हो सकते हैं। जिस लड़ाई को बचाने के लिये यह आर्बिट्रेशन हुआ था उस में इस तरह का कदम जरूर उठाया जाना चाहिये कि आगे से झगड़े की कोई सम्भावना ही न रहे। नदी की धाराएं बदलती रहेंगी तो कुछ जमीन कभी इस साइड में आ जाएगी उत्तर प्रदेश की और कभी बिहार की उत्तर प्रदेश की साइड में चली जाएगी और जिस साइड में वह जाएगी उस साइड के लोग जमीन को आबाद करने लग जायेंगे। मेरा कहना यह है कि खाली कि खाली कागजी बिल पास न किया जाय बल्कि इसको अमली जामा इस तरह से पहनाया जाए, इसका ख्याल इस तरह रखा जाए जिससे आगे झगड़ा ही न हो। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो बतायें कि कौन सा ऐसा तरीका उनके पास है जिससे इस झगड़े को वह हमेशा के लिये तय करना चाहते हैं।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : जो बिल प्रस्तुत किया गया है इसके पीछे जो भावना है उसकी मैं ताईद करता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमा के झगड़े हैं। ये झगड़े नदियों की धाराओं के जो कोर्स हैं उनके बदले जाने के कारण हैं। जब नदी अपना कोर्स बदलती है तो कुछ गांव इधर आ जाते हैं और कुछ उधर चले जाते हैं। इस को लेकर किसानों के बीच में झगड़े होते हैं। इस वास्ते कोई पक्की सीमाबन्दी हो यह आवश्यक है।

1883 में ब्रिटिश काल में इसका सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ऐसा इंतजाम किया गया था कि नदी की धारा बदलने पर जो इलाका उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाएगा उसका उत्तर प्रदेश के लोग इस्तेमाल करें और जो जमीन उत्तर प्रदेश की बिहार में आ जाएगी उसको बिहार के लोग इस्तेमाल करें। इस में झगड़े होते थे और हो रहे हैं। बिहार के लोग जिस जमीन को अपनी समझ कर इस्तेमाल करते हैं और उसमें खेती करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग उसको काट कर ले जाते हैं और उधर वाले जब खेती करते हैं अपनी जमीन समझ कर तो बिहार वाले काट कर ले जाते हैं। ये जो झगड़े हैं इनको समाप्त करने के लिए जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक परमानेंट बाउंडरी बना दी जाए, पिल्लर बना दिये जायें। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि नदियों के कोर्स बदलने के कारण गरीब आदमियों की जमीन अगर उस पार चली जाती है तो वैसी हालत में वे बेजमीन हो जाते हैं और बेजमीन होने के कारण उनके सामने जीविका का प्रश्न उठ खड़ा होता है। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जो बे जमीन हो जायें वे किसी तरह से सफर न करें और उनके लिए कोई इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाए।

[श्री लखन लाल कपूर]

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जो बिल आया है इसको अमली जामा पहनाते वक्त मेरे इस सुझाव का ध्यान रखा जाये और परमानेंट पिल्लर आप बनाएं और इन झगड़ों को जितनी जल्दी समाप्त किया जा सकता हो समाप्त करने की कोशिश कीजाए।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : मैं इस चीज का विक्टिम हूं। बलिया जिले में मेरी कम से कम चालीस एकड़ जमीन थी। एक दो एकड़ नहीं चालीस एकड़ जमीन थी। यह बोर्डर पर थी। दरिया के किनारे होने के कारण या तो यह पानी के नीचे चली जाती थी या दूसरी तरफ चली जाती थी। हम जब उसको जोतने के लिए जाते थे बोने के लिए जाते थे तो दूसरी तरफ के जो काश्तकार थे वे हमें काश्तकारी नहीं करने देते थे। इन सब चीजों को देखते हुए नतीजा यह हुआ कि हम को उस जमीन को छोड़ देना पड़ा। मैं समझता हूं कि जो बिल आया है इसमें परमानेंट कोई चीज जिस तरह से भी वह हो सकती हो हमें करनी चाहिये।

जब यहां ब्रिटिश सल्तनत थी तब उन्होंने एक बाउंडरी नियत की थी। उस बाउंडरी को आप देखें और पता लगायें कि कौन कौनसे गांव बलिया में या सहसराम में आते हैं। कमिशन ने जो कुछ तय किया है उसको हम मान्यता देने को तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमे उन गांवों को भी देखना चाहिये। दरअसल में यह भी देखना चाहिये कि उन गांव वालों की बोली किससे मिलती जुलती है, उनका रहन सहन किस से मिलता जुलता है, उनका जो व्यवहार है वह उन लोगों से मिलता जुलता है जो बिहार में हैं या उत्तर प्रदेश वालों से मिलता जुलता है और उसको आधार मान कर कोई निर्णय लेना चाहिये।

हर साल ऐसा होता है कि इन दोनों दरियाओं की धाराओं की वजह से कुछ इलाका उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है और कुछ इधर आ जाता है, कभी ज्यादा उधर चला जाता है और कभी ज्यादा इधर आ जाता है। कभी कभी तो किसी किसी जगह का तीन चौथाई भाग दूसरी तरफ चला जाता है। गंगा इस तरह से बहती है कि कभी इलाका इधर आ जाता है और कभी उधर चला जाता है।

ये जो सब चीजें हैं इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो बिल आया है इसका मैं समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इन तमाम चीजों पर गौर करने की कृपा करें।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, नदियों का झगड़ा केवल यू० पी० और बिहार का नहीं है, बल्कि यह सारे देश का प्रश्न है और एक अहम प्रश्न है। जहां जहां नदियां हैं, वहां इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं। मेरी कांस्टीट्युएन्सी में घाघरा नदी बहती है। जब वह दूसरी तरफ जरा हट कर बहने लगती है, तो उस जमीन को हम जोतते हैं और जब वह इधर खिसक आती है, तो उस जमीन को दूसरे लोग जोतने लगते हैं। इस कारण आये-दिन झगड़े होते हैं, लेकिन इस बारे में न तो इधर के और न उधर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई एक्शन ले पाते हैं। इस तरह के झगड़े महाराष्ट्र आदि अन्य स्टेट्स में भी चल रहे हैं। इस लिए यह जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस समस्या की कोई पर्मानेंट सालूशन निकाले।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि दोनों स्टेट्स ने आपस में जो समझौता किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस में एमेंडमेंटस क्यों करने जा रही है। उन दोनों ने जो कुछ तय किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे स्वीकार करना चाहिए। सरकार के एडवाइजर्ज और लीगल एक्सपर्ट्स हर बात में मीन-मेख निकालते हैं। मंत्री महोदय, मेहरबानी

कर के उन को प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहें ।

मैं आशा करता हूं कि नदियों को ले कर जिन स्टेट्स में इस प्रकार के झगड़े चल रहे हैं, वे यू० पी० और बिहार के इस समझौते से सबक सीखेंगी लेकिन यह आवश्यक है कि उन दोनों स्टेट्स ने आपस में जो एग्रीमेंट किया है, उस को दृष्टि में रखते हुए गवर्नमेंट इस समस्या की पर्मानेंट सालूशन निकाले ।

अगर सीमा को ठीक तरह से निर्धारित कर दिया जाये और खाते में यह दर्ज हो जाये कि कौन सी जमीन किस किसान की है, तो हर एक किसान अपनी अपनी जमीन में नदी के पानी से मछली पकड़ सकता है । जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है, इस समय स्थिति यह है कि लोगों के आपस में झगड़े होते हैं—मारपीट होती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है । सीमा के लिए नदियों पर निर्भर रहने से लाठी और डंडे का राज हो जाता है और ला एंड आर्डर कायम नहीं रह पाता है । सरकार को इस बारे में अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट्स और नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इस समस्या की एक पर्मानेंट सालूशन निकालनी चाहिए । आज सवेरे ही हमें मंत्री महोदय से यह जवाब सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि आसाम से रिपोर्ट आ रही है । सरकार को इन सब समस्याओं की एक क्लीयरकट और पर्मानेंट सालूशन निकालनी चाहिए ।

यू० पी० और बिहार में नदी-विवाद को सुलझाने का एक सुन्दर नमूना पेश किया है, जिस का अनुकरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए । मैं श्री सहगल को बताना चाहता हूं कि यू० पी० और बिहार में कोई अन्तर नहीं है । हम दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, हमारी संस्कृति, खान-पान और रहन-सहन एक ही है । हम में कोई अन्तर या भेदभाव नहीं है । यह तो महानदी गंगा की अनुकम्पा है कि वह कभी इधर और कभी उधर चली जाती है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सीमा के लिए नदी पर निर्भर रहने के बजाय इस समस्या को सही और पर्मानेंट सलूशन निकाली जाये । बिहार और यू० पी० में कोई झगड़ा नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं एक विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): Mr. Deputy-Speaker, I congratulate my esteemed friend, Shri V. C. Shukla, for having brought forward this Bill and for having put an end, as far as possible, to a controversy which has been going on for many years. I think, Shri V. C. Shukla, deserves congratulations of all us. But when I was reading through this Bill this morning, I asked myself whether I was living in Vietnam or in India, whether it is a Bill to demarcate the boundaries between North Nietnam and South Vietnam or a Bill to demarcate the boundaries between Bihar and U.P. Bihar and U.P. are integral part of India. Whatever Lachet Sena may say, that they do not belong to India, that Assam is for the Assamese, that no non-Assamese has a right to live there, I think, Bihar and U.P. are one integral part of India like Madras or Kerala. Therefore, to bring forward a Bill like this in the Parliament shows that we have become so pettyminded that we have lost our Indianness, that we have lost the sense of unity of this country, that we have lost the sense of integrity of this country and that the Parliament has to legislate about the boundaries of one State and another State. I think, it is a very sad commentary upon the sense of unity that pervades this country. For that reason, I feel very unhappy when I look at this Bill.

Now, what is a boundary line? The boundary line between you and me can be determined because you are sitting in that chair and I am sitting on this bench; I cannot go and occupy

[Shri D. C. Sharma.]

your chair just as you cannot come and occupy this seat of mine; it is determined for five years. But you must know one thing. If there is a river flowing between you and me, a big river—and rivers are like females, changing and fluctuating—and if that river changes its course every time as women change their loyalties every time—you know them, Sir, and I know them—then what will happen? The Ganges is my sacred Ganges . . .

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : स्त्रियों की तरह नहीं, बूढ़े आदमियों की तरह।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The intervention should e instantaneous and should not come quite late.

SHRI D. C. SHARMA: You and I are in the same position. I can be sure that what I have said about women is true, but what she has said about men may be true...... (*Interruptions.*)

I was just saying this. How can we determine the boundary when there is a river between us and when that river changes its course . . .

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : बड़ा होने के बाद आदमी को आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। आत्मा न आदमी है और न स्त्री है।

SHRI D. C. SHARMA: I am your 'Athma' and you are my 'Athma'.

SHRI S. KUNDU (Balasore): They have started exchanging remantic notes in the Lok Sabha . . .

SHRI D. C. SHARMA: I learnt my romance in Bengal.... (*Interruptions*).

As I was saying, when there is a rivery whose course is undetermind, whose course changes every time, how can you determine the boundaries? I hope, Mr. C. M. Trivedi has been given some other assignment now. There are some ICS people who are the favourites of our Government at one time and favourites of another Government at another time. Sometimes they become Members of the Planning Commission; sometimes they become Governors and sometimes they become arbitrators and adjudicators. And Shri C. M. Trivedi belongs to that category. I wish that my good friend Shri Vidya Charan Shukla who is kind to all of us including myself had given him some other assignment so that he would not die without having any assignment. And what has Shri C. M. Trivedi done? He has done one thing namely that he has put the boundary of some areas in the river and of some areas on the land and of some areas both on land and in water. How could this be? And I say that this has been done to settle a dispute which does not exist. The Ballia people are a great people. They were the people who fought in 1857. They were the people who raised the banner of ravolt against the British Government in 1942. The Shahabad people are also a great people. A thing which should have been done by my hon. friend the Minister by persuading them has taken such a long time.

Now, I find that maps are going to be prepared. And look at the amount of money that is going to be spent. It is Rs. 9 lakhs. Our Government of India are suffering from paucity of funds. This morning, one of my hon. friends was saying that the estimate for the Rajasthan Canal had been cut down because of lack of money. And yet we are going to spend Rs. 9 lakhs on preparation of maps. Why should we spend this money on this item? This could have been done by persuasion, by negotiation and by other means also.

When I look at the provisions of this Bill I find that the High Courts are going to have the same jurisdiction for some time to come. I might have lodged a complaint in the High Court of Allahabad and though I belong now to the High Court of Patna's

jurisdiction, still I should stick on to the other High Court for sometime. So, I may say that all these things make me very unhappy. I find that this is no solution to the problem, because the course of the Ganges connot be predicted. He who could fix the course of the Ganges would be a great man. But since that cannot be fixed, it will be a festering sore between the people of Ballia and the people of Shahabad.

With these words, I would say that I do not welcome this Bill but I would request my very statesmen like friend Shri Vidya Charan Shukla that he should try to see to it that the working, of this Bill does not impose any hardship or difficulty on any people and that the rules under subordinate legislation are made in such a way that nobody either from Ballia or Shahabad or from any other district of Bihar or UP would come to any grief. I know that my hon. friend will see to that. Although I do not welcome this Bill, still I have faith in him and I know that something will be done to ensure that the people will not come to grief.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के निर्धारण का जो विधेयक पेश हुआ है उस का स्वागत करता हूं । मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को बहुत जल्दी इस सदन के सामने पेश किया है । यह विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच पिछले 15 वर्षों से चल रहा था और उस क्षेत्र की जनता के लिए काफी बड़ा सरदर्द बना हुआ था । उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के लिए भी सरदर्द बना हुआ था । पिछले पन्द्रह वर्षों में कम से कम आधे दर्जन बार दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री मिले और उन्होंने इस मसले का हल निकालने की कोशिश की । वहां के अधिकारी भी मिले । लेकिन हल नहीं निकला । अन्त म केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और सी० एम० त्रिवेदी साहब को पंच निर्णय के लिए मसला सौंपा गया । मैं त्रिवेदी साहब को भी इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने काफी परिश्रम करके, उस क्षेत्र की जनता, वहाँ के प्रतिनिधियों और वहाँ की सरकारों से मिल करके इस प्रकार का हल निकालने की कोशश की जो दोनों सरकारों को और उन इलाकों की जनता को स्वीकार हो और इस बात का प्रमाण यह है कि आज इस सदन के अन्दर हमारे दो माननीय सदस्य माननीय चन्द्रिका लाल जी और विश्वनाथ पांडेय जी बोले हैं, जिन का क्षेत्र वहाँ पड़ता है, जिन के क्षेत्र के गाँवों को वह प्रभावित करता है और इन दोनों ने थोड़े से संशोधन जो गृह मंत्रालय लाने की कोशिश कर रहा है मुख्य रूप से, उस को छोड़ कर जो पंच निर्णय है उस को स्वीकार किया है । बिहार की सरकार को और बिहार के प्रतिनिधियों को भी यह स्वीकार है । यही इस बात का प्रमाण है कि इस निष्पक्ष निर्णय के पक्ष, में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार, वहाँ की जनता और वहाँ के प्रतिनिधि हैं । यह एक ऐसा हल है जिस से सभी को संतोष है । इस में गृह मंत्रालय ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं जिससे कुछ बलिया के गांव इस संशोधन के बाद बिहार के अन्दर जा कर पड़ते हैं । मेरा अपना ख्याल है कि इस प्रकार की भ्रांति है . . . .

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं इस को यदि साफ कर दूं तो अच्छा होगा क्योंकि दो तीन माननीय सदस्यों ने इस बारे में कुछ कहा है । जो नम्बर 8 और 9 का संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उस में आठवें संशोधन के द्वारा केवल इनवर्टेड कामा ओमिट किया जा रहा है, और नवें संशोधन के द्वारा केवल एक कामा इनसर्ट किया जा रहा है । कवल प्रिंटिंग एरर को दूर करने के लिए यह संशोधन है, और कुछ नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को ले कर के थोड़ी भ्रांति थी। माननीय गृह मंत्री जी ने उस भ्रांति को दूर कर दिया मुझे यह भी प्रसन्नता है और मैं समझता हूं कि इस बात पर जो फैसला हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा विवाद को जिस प्रकार से भाई चारे की भावना के साथ और आपसी सहयोग के साथ हल किया गया है, वह हमारे देश के उन सीमा विवादों के लिए भी एक आदर्श बनना चाहिए जो सीमा विवाद देश के दूसरे हिस्सों में आज पैदा हो गए हैं। इस लिए मैंने इस विधेयक का स्वागत किया है और मैं समझता हूं कि यह विधेयक और इस की भावना एक आदर्श बनेगी। दूसरे विवाद भी इसी भावना के साथ हल होंगे।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सीमा विवाद है जिस में कि बिना हिचक दोनों संबंधित राज्यों ने अपनी मंजूरी दे दी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, इस का बहुत कुछ श्रेय दोनों राज्यों में केवल इस बात पर है कि दोनों के मुख्य मंत्री उस समय जो थे वह एक दूसरे से बड़ी समता रखते थे। दोनों एक जैसे थे, श्री के० बी० सहाय और दूसरी तरफ श्री सी० बी० गुप्ता जो, यह दोनों जैसे थे, यह हम सब को मालूम है और इस विधेयक के लिए हम मन्त्री महोदय को इस बात की बधाई तो जरूर देते हैं कि फिक्स्ड सीमा निर्धारित करने के लिए एक कदम उठाया गया। ऐसे झगड़े चलते रहते हैं और हमारा सुझाव यह अवश्य है कि अन्य स्थानों पर भी जहां पर नदियों को ले कर सीमा गुजरती है वहां पर नदियों के बहाव के साथ साथ सीमा न बदले, बल्कि उसके लिए हर स्थान पर इस प्रकार की फिक्स्ड सीमा निर्धारित की जाय। कई राज्यों में यह विवाद अभी चल रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि यह जो विधेयक पेश हुआ है, इस में चन्द तकनीकी गल्तियां हैं, जिनकी तरफ़ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने इस विधेयक के पृष्ठ 20 पर जहां घाघरा के किनारे सीमा निर्धारित करने के लिये लिखा है वहां आपने उस की सीमा का एक केन्द्र जजीरा नं० 36 बताया है। ये जजीरें नदियों के बीच में छोटे छोटे टापू के रूप में बन जाते हैं और इस प्रकार के टापू समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। अन्य स्थानों पर जब आपने मैप रेफ़ेन्स लौंग्टीचूड और लैटीचूड के हिसाब से दिया है, तो यहां पर भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया ?

दूसरी तकनीकी बात यह है कि लौंगीचूड और लैटीचूड में डिग्री, मिनट और सैकंड से आपने सीमा निर्धारित करने के लिये जो केन्द्र बताये हैं, तो एक सेकेण्ड की एक्यूरेसी जाकर करीब सो गज पड़ती है, तो इंच के स्केल के मैप में ग्रिड रेफ़ेंस के द्वारा ये प्वाइन्ट्स बताये जांय, नहीं तो जब ये खम्बें वगैरह लगाये जायेंगे सीमा निर्धारित करने के लिये, तब फिर झगड़े होंगें, कोई कहेगा कि 20 गज इधर है और कोई कहेगा कि 20 गज उधर है। इस लिये इस बात को कृपा कर ध्यान में रखिये और अपने विशेषज्ञों को यह बात बतायें।

तीसरा सुझाव जो हमारे दल ने देना है—वह यह है कि इस प्रकार के सारे विवादों के लिये हम क्यों न एक स्थायी कमीशन नियुक्त कर दें, जिससे कि जो भी इस प्रकार के झगड़े होते हैं, उन में बजाये इस के कि सदैव भारत सरकार घसीटी जाय और भारत सरकार का नाम बदनाम हो, उस कमीशन के पास वे सारे मामले पहुंच जायें और वह कमीशन उन के फैसले कर दे और जब हम यह देखें कि सारी सीमायें ऐसी बन गई हैं कि अब उन के बदलने की आवश्यकता नहीं है, तब उस कमीशन को तोड़ दिया जाये। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा ऐसी नहीं थी कि उस में झगड़ का कोई कारण

था, नदी का बहाव बदलने की वजह से सीमा बदलती रहती थी, यह कठिनाई थी जिसको दूर करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी, इस प्रकार के झगड़े हैं, इसलिये इस प्रकार का कमीशन बना कर सारे स्थानों के लिये एक नीति के अनुसार जहां पर भी नदियों का बहाव बदलता रहता है, इस प्रकार की फिक्स्ड सीमा कर दी जाये, तो ये झगड़े समाप्त हो सकते हैं। अन्यथा ये झगड़े ऐसा रूप ले लेते हैं कि आपस में मार-पीट तक होने लगती है, जैसे कि इस समय महाराष्ट्र और मैसूर की सीमा का झगड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस में केन्द्र की कमजोरी है, केन्द्र की अदूरदर्शिता है। केन्द्र को भी मालूम है, किसको नहीं मालूम है कि जहां पर भी आपने प्राकृतिक सीमा निर्धारित की है, जहां पर भी सीमा किसी नदी के बीच की धारा है, वह तो सदैव बदलती रहेगी। इसलिये क्यों न हम एक फिक्स्ड बाउण्ड्री, जिस तरह कि हम यहां पर बना रहे हैं, अन्य स्थानों पर भी बना दें। लेकिन यह सब अदूरदर्शिता के कारण नहीं किया जाता, शायद केन्द्र की यह भी नीति हो कि चलो झगड़े की जड़ कहीं-न-कहीं रहने दो, जिससे हम को बन्दर-बांट का मौका मिलता रहे, या एक-दो कमीशन, अपने पुराने आई०सी०एस० अफसरों को या हारे हुए नेताओं को लगाने के लिये, बनाने का मौका मिलता रहे। अगर एक बार ये झगड़े समाप्त कर दिये गये, तो कई लोगों की रोजी-रोटी चली जायगी। तो यह जो गल्ती केन्द्र करता है, अपने आदमियों को बैठाने के लिये ये झगड़े चलाता रहता है, यह उचित नहीं है। यह नहीं सोचते कि इन सीमाओं को निर्धारित किया जाये, फिक्स्ड रहें, हर बार सर्पाकार रूप में बदलती न रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि यह कोई झगड़े का विधेयक नहीं है लेकिन सीमाओं के निर्धारण के लिये, सीमाओं को स्थायी बनाने के लिये सरकार एक नीति बनाये और हम सब के सब उस नीति के अनुसार सरकार के साथ सहयोग करें और जो उस स्थायी कमीशन का फैसला हो, वह हम सब के ऊपर बाध्य रहे और उस को मानें।

श्री रवि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के सिलसिले में जो बिल आया है, उसको लेकर मैं मंत्री महोदय को बधाई देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। असल में बलिया जिले की जनता ने, उत्तर प्रदेश और बिहार के इस क्षेत्र की जनता ने राष्ट्रीय आन्दोलन में बड़ा प्रमुख भाग लिया था, जैसे महाराष्ट्र में सतारा जिला है, उसी तरह से यह बलिया जिला है, इन्होंने 1942 की क्रान्ति में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ समानान्तर सरकार बना कर आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा भाग लिया था, तो उपाध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश की यह खूबी है कि वे आपस में ऐसी चीजों का निराकरण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं और त्रिवेदी कमीशन को बैठाकर आपने उनके इस सवाल को सुलझा दिया, इसका समाधान कर दिया, लेकिन मैं तो आपका ध्यान हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों के बारे में खींचना चाहता हूं जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक का झगड़ा है, उसी तरह उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश का झगड़ा है, उड़ीसा और बिहार का झगड़ा है, उस तरह के जो सीमा विवाद हैं, उन के लिये इस तरह का स्थायी आयोग सरकार की ओर से बैठाया जाये जोकि उन के साथ आपस बात कर के फैसला करे और जिस तरह से त्रिवेदी एवार्ड को माना गया है, उसी तरह से उनके बारे में भी फैसला हो जाये।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अब तक केन्द्र सरकार की जैसी नीति रही है, उसको बदला जाये और दूसरी जगहों पर जो तनाव हैं, उसको बढ़ाया न जाये।

[श्री रवि राय]

मेरी यह मान्यता है और मैं केन्द्रीय सरकार पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि महाजन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जो वहां दूसरे लोगों के साथ, विरोधी दलों के साथ सलाह मशविरा कर के समाधान करना चाहिये था, उसको सरकार नहीं कर रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक स्थायी आयोग सरकार की ओर से गठित किया जाये ताकि जितने भी सीमा विवाद हैं उनको और अधिक बढ़ावा न देकर उनका तात्कालिक समाधान ढूंढ़ा जाये तथा यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के स्तर का होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जोगेश्वर यादव (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल के अनुसार उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव बिहार प्रदेश में चले गये हैं और बिहार प्रदेश के जितने गांव उत्तर प्रदेश में आ गये हैं, वे करीब-करीब घाघरा और गंगा के किनारे के गांव हैं। इन के विकास के लिये, सिंचाई के लिये, बिजली के लिये तथा सड़कों के लिये सरकार को काफ़ी इन्तजाम करना चाहिये ताकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि दूसरे सूबे में जाने के कारण हमारा विकास रुक गया है। इस लिये मैं चाहता हूं कि इन के बारे में किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करने का मौका न मिले, सरकार की ओर से इन के विकास के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

15 hrs.

श्री क० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय को बतलाना चाहूंगा कि गौरी शंकर मिश्रा वगैरह आदमी यह बड़का गांव, जिला शाहाबाद के हैं यह लोग शुक्ल जी से मिले थे और उन लोगों ने कहा है कि त्रिवेदी कमेटी की जो रिपोर्ट है उस जमीन को उन्होंने छोड़ दिया है उन लोगों के सैकड़ों वर्ष से कब्जे में जो जमीन चली आ रही है उसको छोड़ दिया है इसलिये वह जमीन उनके पास रहनी चाहिये और ये इंस्ट्रक्शंस उस रेकार्ड पर जाने चाहिएं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया लगभग सबों ने इस विधेयक का समर्थन किया है और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

जहां तक इस एवार्ड का सवाल है माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस एवार्ड को सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से नहीं बदला गया है। जो भी एवार्ड श्री चंदूलाल त्रिवेदी ने इस झगड़े के सम्बन्ध में दिया उसे जैसे का तैसा मंजूर किया गया है और उसके ऊपर आधारित यह विधेयक इस माननीय सदन के सामने पेश किया गया है।

जैसा कि मैंने कुछ समय पहले स्पष्टीकरण किया जो संशोधन 8-9 दिये हुये हैं उनमें केवल एक डैश और एक कौमा को जोड़न, घटाने का सवाल है। उसमें से कोई लाइन न घटाई जा रही है और न कोई लाइन बढ़ाई जा रही है इसलिये इस विषय में उस राज्य के या इस राज्य के किसी भी सदस्य महोदय को चिंतित नहीं होना चाहिए।

श्री शिव नारायण ने और एक, दो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस तरीके से जैसे यहां इस झगड़े का निबटारा हुआ है उस तरीके से दूसरी जगहों के झगड़े का निबटारा भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह ठीक बात है और सिद्धांत रूप से जब संसद् इस चीज को मंजूर कर रही है कि इस हिसाब से ऐसी सीमाओं का झगड़ा जो नेताओं द्वारा निर्धारित है सुलझाया जा सकता है तो दूसरे राज्य भी यदि इस तरीके से एक दूसरे के साथ समझौता कर लें जिस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश ने किया

है तो हम लोग उन झगड़ों के बारे में केन्द्रीय संसद् के द्वारा ऐसा विधेयक पास करवा सकते हैं कि यह सिद्धांत जो विधेयक में निरूपित हैं वह केवल ऐसी सीमाओं से सम्बन्धित हैं जो नदियों द्वारा निर्धारित हैं जमीन के ऊपर सीमायें बनी हैं। यह जो विधेयक है वह ज्यादा असर नहीं डाल सकेगा। नगरों की जो पृष्ठ भूमि है उनके जो सवालात हैं वह उस से भिन्न होंगें।

जो सवाल तिवारी जी ने उठाया और जहां तक उसका सम्बन्ध है मैं उन से बतलाना चाहता हूं कि कई ऐसे इस में दृष्टांत भी हो सकते हैं कि एक गांव की कुछ जमीन रह जाए एक राज्य में और उसकी जो वर्तमान जमीन है वह दूसरे राज्य में चली जाय या इसका उल्टा हो जाय तो क्योंकि इस तरीके की एक स्थायी सीमा निर्धारित करनी है, कहीं एक आध जगह ऐसी बात हो सकती है तो इससे वहां के निवासियों को तकलीफ़ न हो उसके लिये इस विधेयक की धारा 26 में इस बात का प्राविधान किया गया है कि जो कानून जिस राज्य की जमीन में लगते थे यदि वह दूसरे राज्य में जमीन चली जाती है तो उस राज्य के कानून उस जमीन पर चलेंगे। उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि जैसे बिहार की जमीन उत्तर प्रदेश में चली जाय और उस जमीन के मालिक यदि बिहार में ही रह जायें तो उत्तर-प्रदेश में जो जमीन गई है उसके ऊपर जो राजस्व कानून लगेगा वह बिहार का ही लगेगा जिससे कि उन लोगों को यह तकलीफ़ न हो कि उनके कुछ खेत चले जांय उत्तर प्रदेश में और कुछ बिहार में और दोनों के लिए अलग अलग कानून हो। यह तकलीफ़ हटाने के लिये दोनों राज्यों के बीच में इस तरीके का प्राविधान किया गया है कि इससे हमारे किसानों को जो वहां रहते हैं उनको वहां इस तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिये।

मेजर रणजीत सिंह और दूसरे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि स्थायी आयोग इस तरह के सीमा विवाद को निबटा देने के लिए बना देना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इससे कोई सीमा विवाद हल होगा या इससे किसी तरह के सीमा विवादों को निबटाने में सुविधा होगी क्योंकि इस तर के स्थायी आयोग बनाने से न केवल हजारों तरह के सीमा विवाद उठ खड़े होंगे बल्कि वह स्थायी भी हो जायेंगे। आयोग के साथ साथ मैं समझता हूं कि जब ऐसी कहीं कोई आवश्यकता पड़े तो हमें समझौता करने की कोशिश करनी चाहिये न कि विवाद के लिए कोई स्थायी आयोग बनाना चाहिये। हमें तो इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इस तरह का सीमा विवाद खड़ा ही न हो। मुश्किल यह है कि राजनीतिक दलों की तरह तरह की बातें होती हैं तरह तरह की उनकी विवशतायें होती हैं उसके कारण इस तरीके की बातें उठती रहती हैं। यदि हर एक राजनीतिक दल जिम्मेदारीपूर्वक इस बात पर अपना व्यवहार रखे तो इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों हमारे यहां सीमा विवाद हों। जिस तरीके का यह सीमा विवाद था, ऐतिहासिक कारणों से कुछ सीमा विवाद उठता है तो वह एक दूसरे के साथ सद्भावना-पूर्ण बातचीत करने से सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है। उसका नमूना इस विधेयक के द्वारा देखने को हमें मिलता है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matters connec-

[Mr. Deputy-Speaker].

ted therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, clause-by-clause consideration.

There are no amendments to clause 2.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4—(Amendment of First Schedule to the Constitution.)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Clause 4. There are some verbal amendments moved by Government. They are amendments Nos. 3, 4 and 5.

Amendments made:

Page 4, line 32,—

for "I. The States" *substitute*—

"I. THE STATES" (3)

Page 5, line 1,—

for "1967" *substitute* "1968" (4)

Page 5, line 14,—

for "1967" *substitute* "1968" (5)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are no amendments to clauses 5 to 36.

The question is:

"That clauses 5 to 36 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 5 to 36 were added to the Bill.

The Schedule

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are verbal amendments Nos. 6, 7, 8 and 9 moved by Government.

Amendments made:

Page 18, lines 16 and 17,—

for "shall run straight" *substitute*—

"shall run in straight lines" (6)

Page 19, line 9,—

for "Turk Balli" *substitute*—

"Turk Ballia," (7)

Page 21, lines 9 and 10,—

after "Diara Naubara" *omit* "-" (8)

Page 22, line 4,—

after "Darauli" *insert* "," (9)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 —(*Short title*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is Government amendment No. 2

Amendment made:

Page 1, line 6, *for* "1967" *substitute* "1968". (2)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Eighteenth" *substitute* "Nineteenth" (1)

(*Shri Vidya Charan Shukla*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.09 hrs.

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) AMENDMENT BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration."

Sir, as the statement of objects and reasons appended to the Bill makes it clear, it is not the intention to introduce any change of substance or procedure in the law governing payment of compensation to displaced persons. The Bill merely seeks to validate the action that has already been taken, in order to bring the position in line with the judicial pronouncement made by the Punjab High Court some time ago in May 1964 in a writ petition.

The proposed legislation governs the cases of those displaced persons whose properties were subject to mortage in favour of residents in West Pakistan. While determining the amount of compensation due to such dispaced persons in respect of the immovable properties left by them in West Pakistan, deductions were made corresponding to the mortgage charge on those properties. This was done in accordance with the decision taken in the meeting of the Joint Rehabilitation Board (consisting of representatives of the Central Government, Governments of East Punjab and Pepsu States) held at Simla in May 1952. Apparently, it was not considered necessary at that time to make a specific provision in this regard in the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, the position having been regulated by the issue of executive instructions only. The Punjab High Court's judgment has made it necessary, however, to make good that omission.

Sir, I might add here that provision for the purpose for making deduction on account of the mortgage charge on properties, already exists in the Act where both the mortgagor and the mortgagee had come over to India as displaced persons, *vide* Section 7 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 read with Section 16(3) of the Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951. Under the latter Section, the debt of the mortgagor displaced person, as due to the mortgagee displaced person has to be reduced in the same proportion as the compensation payable in respect of the property bears to the value of the verified claim in respect of the property, and the amount of debt thus arrived at is deducted from the compensation due to the mortgagor. The same principle